राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – जसरापुर

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर –204/2013

1. दीप सिंह उम्र 59 वर्ष (फौत)
1/1 ईश्वर सिंह } पुत्रान स्व. दीपसिंह
1/2 अनील सिंह }
1/3 रेखा पुत्री स्व. दीपसिंह
1/4 श्रीमती रूपवती पत्नी स्व. श्री दीपसिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण ढाणी कोठी तन् तसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झनूं राज0
2. सुप्यार सिंह उम्र 52 वर्ष
3. मालसिंह उम्र 50 वर्ष
4. ताराचन्द उम्र 50 वर्ष
5. लाल बहादुर सिंह उम्र 45 वर्ष
} पुत्रान झुवार सिंह जाति राजपूत निवासीगण ढाणी कोठी, जसरापुर तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं, राज0

...........वादीगण

ब–ना–म

1. बीना देवी पत्नी जयसिंह उम्र 50 वर्ष
2. नरेश सिंह पुत्र स्व. जयसिंह उम्र 18 वर्ष
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. जयसिंह उम्र 16 वर्ष
4. नीतू पुत्री स्व. जयसिंह उम्र 14 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण ढाणी कोठी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. बबीता पुत्री स्व. जयसिंह पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी ढाणी कोठी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0) हाल निवासी झालरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6. सुनीता पुत्री स्व. जयसिंह पत्नी रामावतार सिंह जाति राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ढाणी कोठी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल निवासी झालरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
7. अनीता पुत्री स्व. जयसिंह पत्नी अजीत सिंह जाति राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी ढाणी कोठी जसरापुर तहसील खेतड़ी। हाल निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8. सुमेरसिंह पुत्र गोपाल सिंह उम्र 65 वर्ष
9. जगमाल सिंह उम्र 60 वर्ष
10. हजारी सिंह उम्र 55 वर्ष
11. मेघसिंह उम्र 52 वर्ष
12. प्रहलाद सिंह उम्र 48 वर्ष
} पुत्रान स्व. [illegible]
13. विद्यादेवी पत्नी स्व. भूरसिंह उम्र 80 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.27 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

14. दलीप सिंह उम्र 50 वर्ष
15. लालसिंह उम्र 48 वर्ष
16. ओमप्रकाश उम्र 46 वर्ष
17. बलवीर सिंह उम्र 44 वर्ष
18. रणजीत सिंह उम्र 40 वर्ष
} पुत्रान स्व. मगनसिंह

19. रीतु पत्नी मुकेश पुत्रवधु मगनसिंह उम्र 28 वर्ष
20. लाली पुत्री स्व. मुकेश पौत्री मगनसिंह उम्र 3 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण ढाणी कोठी जसरापुर तहसील खेतड़ी
21. लक्ष्मी पुत्री मगन सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी गावली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0।
22. रामबाई पत्नी स्व. मगन सिंह उम्र 75 वर्ष
23. नवल कंवर पत्नी उदयवीर सिंह पुत्रवधू मगनसिंह उम्र 50 वर्ष
24. कुन्दन सिंह उम्र 30 वर्ष
25. सुरेश सिंह उम्र 25 वर्ष
} पुत्रान स्व. उदयसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी जसरापुर तहसील खेतड़ी।

26. सरोज कंवर पुत्री उदयसिंह पत्नी विरेन्द्र सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ढाणी कोठी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरि0
27. कुम्भसिंह उम्र 40 वर्ष
28. हेमसिंह उम्र 36 वर्ष
29. सत्यवीर सिंह उम्र 36 वर्ष
} पुत्रान मुंशी सिंह

30. दर्शना कंव उम्र 65 वर्ष पत्नी मुंशीसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
31. विमला पुत्री मुंशीसिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह उम्र 44 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी जसरापुर तहसील खेतड़ी हाल आबाद नुंआ श्यामपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं, राज0
32. सुनिता पुत्री मुंशी सिंह पत्नी मूलसिंह उम्र 42 वर्ष जाति 42 वर्ष निवासी ढाणी कोठी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद नुंआ श्यामपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं, राज0
33. बहादुर सिंह उम्र 75 वर्ष
34. मदनसिंह उम्र 55 वष
} पुत्रान कालूसिंह जाति राजपूत निवासी कोठी की ढाणी जसरापुर तहसील खेतड़ी।

35. झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
36. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

<u>दावा– रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई व्यादेश</u>

<u>उपस्थित अधिवक्ता :–</u>

1. श्री अजीत सिंह तंवर – वादीगण की ओर से
2. श्री रोशन लाल सैनी – प्रतिवादीगण सं. [illegible] की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.27 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

–: **निर्णय** :– **दिनांक 04–10–2021**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का [illegible] किया गया है कि ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित आराजी खाता संख्या 572 ख.नं. 1454 रकबा 1.11 है.,

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

ख.नं. 1488 रकबा 0.03 है., ख.नं. 1489 रकबा 0.16 है., ख.नं. 1490 रकबा 3.84 है., ख.नं. 1525 रकबा 1.08 है., ख.नं. 1527 रकबा 1.48 है., ख.नं. 1528 रकबा 0.32 है., ख.नं. 1533 रकबा 0.65 है., ख.नं. 1534 रकबा 0.14 है. किता 9 कुल रकबा 8.81 है. के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण सं.1 लगायत 34 है जिनमें वादीगण का हिस्सा 1.57 है., प्रतिवादील सं. 1 लगायत 7 के ससुर व दादा झाबर सिंह का 0.97 है., प्रतिवादी सं. 8 का हिस्सा 1.56 है., प्रतिवादी सं. 9 लगायत 13 का हिससा 1.57 है., प्रतिवादी सं. 14 लगायत 26 के पूर्वज मगन सिंह पुत्र बीजू सिंह का 1.57 है., प्रतिवादी सं. 27 लगायत 32 के पूर्वज मुंशी सिंह का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं. 33 व 34 का हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 1.57 है. दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 के हक पूर्वाधिकारी स्व. झाबर सिंह ने वादीगण को हाल खसरा नंबर 1533 के गत खसरा नं ... में से पहले भूमि का बेचान कर दिया था जिसका नामांतकरण वादीगण के नाम से पूर होकर खाता भी अलहदा हो चुका है। इसलिए जमाबंदी संवत् 2065 से 2072 किता 9 कुल रकबा 8.81 है. में झाबर सिंह पुत्र बींज सिंह का हिस्सा 0.97 है. दर्शाया गया है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के हकपूर्वाधिकारी झाबर सिंह द्वारा ख.नं. 1454 रकबा 1.11 है., ख.नं. 1488 रकबा 0.03 है., ख.नं. 1490 रकबा 3.04 है. किता 3 कुलरकबा 4.98 है. में से 1/6 भाग मं से साढे तीन बीघा कच्चा यानि 0.39 है. भूमि को दिनांक 17.11.2000 को दीपसिंह पुत्र जवाहर सिंह वादी सं. 1 को 0.39 है. में से 2/3 भाग एवं वादी सं. 3 मालसिंह को 0.39 है. में से 1/3 भाग का इकरारनामा करवाया था तथा राशि प्राप्त करली थी। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के हकपूर्वाधिकारी स्व. झाबर सिंह पुत्र बीज सिंह द्वारा इकरारनामे की शर्तो की पालना नहीं करने पर वादी सं. 1 व 3 द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीय महोदय, खेतड़ी में वाद दायर किया गया जो वादी सं. 1 व 3 के पक्ष में निर्णित हुआ जिसकी पालना में सहायक नाजिर न्यायालय द्वारा वादी सं. 1 व 3 के हक में झाबर सिंह पुत्र बीज सिंह की ओर से खसरा नंबर 1454, 1488, 1490 किता 3 कुलरकबा 4.98 है. में से 0.39 है. की रजिस्ट्री दिनांक 20.02.2007 को करवादी गई जिसका नामांतकरण सं. 1008 दिनांक 05.06.2009 को वादी सं. 1 व 3 के हक में पूर हो चुका है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के हकपूर्वाधिकारी झाबर सिंह के हिस्से में से 0.97 है. में से 0.39 है. कम करके 0.58 है. शेष रही अर्थात प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के जमाबंदी संवत् 2065 लगायत 2068 में [illegible] है. भूमि ही उनके खाते में शेष रही। जमाबंदी के खसरा नंबर [illegible] 1008 दिनांक 05.06.2009 तथा नामांतकरण सं. 1217 दिनांक 05.06.2010 का इन्द्राज तो सही रूप मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.27 15:32:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

दर्ज है लेकिन राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई गलती की वजह से झाबर सिंह पुत्र बीज सिंह की फौतगी का इंतकाल पुनः नामांतकरण सं. 1217 दिनांक 05.06.2010 में जयसिंह पुत्र झाबर सिंह का हिस्सा 0.97 है. दर्ज कर दिया तथा जयसिंह के देहान्त के बाद फौतगी इंतकाल प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के हक में नामांतकरण सं. 1281 दिनांक 31.12.2010 को पुनः 0.97 है. भूमि दर्ज कर दिया गया जो गलत रूप से दर्ज किया है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के अधिकार हक में केवल 0.58 है. भूमि शेष रहती है। वाद वर्णित भूमि खसरा नंबर 1454, 1488, 1490 किता 3 कुलरकबा 4.98 है. को हाल खाता सं. 594 में दर्ज किया गया है इस खाते में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 का हिस्सा पुनः 0.97 है. गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक हे। वादीगण सं. 1 लगायत 7 की उक्त दोनों खातों में 0.58 है. भूमि हीदर्ज होनी चाहिए थी किन्तु रिकार्ड में गलती से खाता सं. 593 में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 का 0.58 है. हिस्सा व खाता सं. 594 में 0.97 है. हिस्सा दर्ज कर दिया गया है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

(क) ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित आराजी वाद वर्णित हाल खसरा नंबर 1454, 1488, 1489, 1490, 1525, 1527, 1528, 1533,1534 किता 9 कुल रकबा 8.81 है. में वादीगण का पूर्व में दर्ज हिस्सा 1.57 है. तथा वादी सं. 1 को अपनी खरीद शुदा भूमि 0.39 है. मेंसे 2/3 भाग तथा वादी सं. 3 की अपनी खरीद शुदा भूमि 0.39 है. में से 1/3 भाग का अतिरिक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के हिस्से में दोनों खातों में केवल 0.58 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 का वाद वर्णित सम्पूर्ण भूमि में 0.58 है. हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे हाल खाता सं. 594 में दर्ज हिस्सा 0.97 है. हजफ कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(ग) प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वे जब तक उक्त खाता दुरूस्त ना हो तब तक वाद वर्णित भूमि या उसके किसी भाग को अन्य किसी को दान, बेचान रहन अर्थात् हस्तांतरित ना करें न करावें।

(घ) प्रतिवादी सं. 36 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वे वाद वर्णित भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 का विलेख को तस्दीक ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.27 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन् जारी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 ने उपस्थित होकर आपसी सहमति राजीनामा पेश जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादीगण सं. 8 लगायत 37 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित, अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 खाता सं. 593, 594 (प्रदर्श–1), संवत् 2065–2068 खाता सं. 572 (प्रदर्श–2), खाता सं. 540 (प्रदर्श–3), फोटो नामांतकरण सं. 1008, 1217 पेश किये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र दीपसिंह (पी.डब्ल्यू.–1), सुप्यार सिंह, लिछमण (पी.डब्ल्यू.–3) भी पेश किये।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प जसरापुर में पेश हुई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत आपसी सहमति राजीनामा के मुताबिक वाद वादीगण डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के स्वीकार कर डिक्री किया जाना संदेह से परे साबित होता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम जसरापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1454, 1488, 1489, 1490, 1525, 1527, 1528, 1533, 1534 कुल किता 9 कुल रकबा 8.81 है. में से 0.97 है0 भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 का 0.58 है. हिस्सा तथा शेष 0.39 है. भूमि में वादी दीप सिंह के वारिशान वादीगण सं. 1/1 से 1/4 का 2/3 भाग तथा वादी सं. 3 माल सिंह का हिस्सा 1/3 दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टियां जमाबंदी बदस्तूर रहेंगी। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प जसरापुर में दिनांक 04–10–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.27 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

ह0

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
प[redacted] सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

Scanned with CamScanner